(5) ⑧

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(47) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/जिला/2016–17 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को 30 नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने की समीक्षा बाबत्।
प्रसंग :– विभागीय अ.शा. पत्र दिनांक 21.09.2016

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के शुभारम्भ से पूर्व में स्वीकृत, निर्माणाधीन आवासों को माह नवम्बर, 2016 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में अ.शा. पत्र द्वारा निर्माणाधीन 2.93 लाख आवासों को माह अक्टूबर व नवम्बर, 2016 में अभियान के रूप में पूर्ण कराने हेतु जिलेवार सप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

राज्य में प्रगतिरत इन्दिरा आवास व मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत 2.93 लाख में से माह अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह तक निर्धारित लक्ष्य 75621 में से मात्र 31670 आवास (जिलेवार विवरण संलग्न) ही पूर्ण कराये गये हैं, जो अभियान की अपेक्षित प्रगति से काफी कम है।

दिनांक 19.10.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर" अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान पूर्ण हो चुके आवासों की भी GEO Tagging कराने व अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में निर्माणाधीन आवासों को 30 नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कराने के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा माह नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में एवं मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आप अपने मार्ग–दर्शन में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कराने की कार्ययोजना अनुसार प्रगति की नियमित समीक्षा कर शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

Enclosed – As above

21/10/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त, राजस्थान।
6. PD(M&E) को website पर upload करने हेतु

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

PTO